

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष व सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु

विज्ञापित-2021

ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि 11.03.2021

आवेदन सबमिट करने की अन्तिम तिथि 10.04.2021 कार्मिक विभाग के विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2021 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष व सदस्य के रिक्त होने वाले क्रमशः 01-01 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रिक्त होने वाले पदों के लिए आवेदक को पदानुसार अलग-अलग आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना होगा।

भारत का संविधान के अनुच्छेद-316 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं।

लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य अपने पद धारित करने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा कर चुके आवेदक, जो कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी पद धारित कर चुके हों, उनके द्वारा आवेदन करते समय अपनी सेवा के अन्तिम 10 वर्षों में धारित पदों का विवरण अवधि सहित अंकित किया जायेगा।

कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

**आयु-** अध्यक्ष व सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु इच्छुक आवेदक, जो विज्ञापन की तिथि को 62 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं, वे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

**पदों की संख्या, जिन पर चयन होना है -** वर्तमान में अध्यक्ष पद व सदस्य के रिक्त होने वाले पदों की कुल संख्या क्रमशः 01-01 है। (सदस्य के रिक्त होने वाले पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।)

**वेतन -** अध्यक्ष व सदस्य को शासन व आयोग द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते अनुमन्य होंगे।

**शुल्क-** आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

**ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना-**

इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन ही करें।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट <http://niyuktionline.upsdc.gov.in/> पर ऑनलाइन एडवरटाइजमेन्ट स्वतः प्रदर्शित होगा।

*Puj*  
09/03/2021

*कु*

यूजर इन्स्ट्रक्शन (User Instruction) में आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद आवेदक व्यू एडवर्टाइजमेंट (View Advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (Apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्न प्रकार किया जायेगा:-

अप्लाई क्लिक करने पर आवेदक पंजीकरण (Applicant Registration) का विकल्प आयेगा। उसे क्लिक करने पर आवेदक का बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। फार्म भरने के पश्चात् सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लीकेशन फार्म को क्लिक करने पर प्रदर्शित फार्मेट में ऑनलाइन सूचनार्ये भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीनतम, आवक्ष तक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ (जो 03 माह से अधिक पुराना न हो) तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ (\*.jpe, \*.jpeg, \*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 के0बी0 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो हस्ताक्षर सहित निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरे जाने होंगे, अतः अनिवार्य कॉलम को छोड़कर जो कॉलम आवेदक से संबंधित न हो या उसमें कोई सूचना भरा जाना अपेक्षित न हो उसमें 'NA' अंकित किया जाय।

आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद 'व्यू एप्लीकेशन फार्म' को क्लिक करके आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनार्ये सही भरी गयी हैं और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन विभाग को प्रेषित करने हेतु सबमिट बटन को क्लिक करें।

यदि आवेदक द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा, इसका दायित्व आवेदक का होगा और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करने के पश्चात् संलग्न किये जाने वाले अभिलेख (Documents) अपलोड किये जायेंगे। तत्पश्चात् आवेदक भरे गये अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।

आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। किसी विसंगति के लिए कार्मिक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

**एक बार आवेदन फाइनल सबमिट करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा और न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।**

आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य न पाये जाने पर आवेदक को विभाग की चयन प्रक्रिया से प्रतिवारित (Debar) किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

**आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेश-**

*Paj.*  
09.03.2021

*सुष*

- (1) आवेदक अपने विवरण के साथ तीन पंक्तियों में अनिवार्य रूप से यह अवश्य अंकित करेंगे कि वे किस आधार पर उक्त पद को विशिष्ट रूप से धारित करने के योग्य हैं।
- (2) जो आवेदक केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अशासकीय संस्था में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
- (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- (4) आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड की जाय।
- (5) विभाग से सभी पत्राचार में पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम व जन्मतिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
- (6) विभाग आवेदकों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्हः हैं।
- (7) किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा चयन से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार कार्मिक विभाग को होगा।
- (8) आवेदक के अर्हः/अनर्हः होने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा।
- (9) यदि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे कार्यालय समय में कार्मिक विभाग के दूरभाष नम्बर 0522-2226228 पर अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कठिनाई/समस्या का यथासंभव निराकरण किया जायेगा।
- (10) ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 10.04.2021 है।

Raj.  
09.03.2021

कुं